

संख्या यू-16011/1/2020-ओ. एंड एम.

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

\*\*\*

जी एवं एच विंग, कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 05 जनवरी, 2022

आदेश


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1), 5(2), 19(1) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपभोक्ता मामले विभाग में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सापेक्ष उल्लिखित विशिष्ट अनुभाग/डेस्क के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में पदनामित किया जाता है:

पदनामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) एवं अपीलीय प्राधिकारी

| सी.पी.आई.ओ.<br>नाम/पदनाम     | प्रभाग/डेस्क/एकक/अनुभाग | अपीलीय प्राधिकारी<br>नाम/पदनाम/ दूरभाष संख्या |
|------------------------------|-------------------------|---|
| श्री सुरेंद्र सिंह, निदेशक   | सहकारिता                | श्री विनीत माथुर, संयुक्त सचिव                |
| श्री एस. के. प्रसाद, उप सचिव | सामान्य प्रशासन         | श्री विनीत माथुर, संयुक्त सचिव                |

किसी भी सी.पी.आई.ओ. के तीन दिन से अधिक के अवकाश पर होने या पद रिक्त होने की स्थिति में, उसके तत्काल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सी.पी.आई.ओ. के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा और ऐसे मामलों में, अपील तदनुसार अलग-अलग रूप से अगले उच्चतर प्राधिकारी को की जाएगी। किसी भी अपीलीय प्राधिकारी के एक सप्ताह से अधिक के लिए अवकाश पर होने की स्थिति में, नियमित पदग्राही के कार्य को देखने वाला लिंक अधिकारी उस विशिष्ट अवधि के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। सी.पी.आई.ओ. द्वारा प्रत्येक तिमाही के अगले माह की 15 तारीख तक प्रत्येक तिमाही के लिए, सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदनों के ब्यौरों सहित तिमाही विवरणी प्रस्तुत की जाएगी।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(जसवीर तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार


दूरभाष:23381233

सेवा में,

उपर्युक्त सूची के अनुसार सभी सी.पी.आई.ओ. एवं अपीलीय प्राधिकारी

प्रति:

1. सचिव (उ.मा.) के पी.एस.ओ./अपर सचिव (उ.मा.) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (उ.मा.) के प्रधान निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (वी.एम.) के निजी सचिव/आर्थिक सलाहकार के निजी सचिव।
2. उपभोक्ता मामले विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग > ई-ऑफिस केएमएस
3. निदेशक (आई.आर.), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनरिका, नई दिल्ली।
5. अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) [सुविधा काउन्टर पर लगे प्रदर्श पटल में आवश्यक संशोधन करने के अनुरोध सहित]
6. पी0एस0ए0, एन.आई.सी., कमरा नं0 546 बी, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।



(जसवीर तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:23381233